

आंतरिक वित्तीय
सलाहकार से
परामर्शित

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

जार्ज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
पो0-हिन्, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 09/09/2025

विषय:- राँची विश्वविद्यालय, राँची के लिए द्वितीय पाली में कक्षा संचालन हेतु राशि रु0 3,00,00,000/- (तीन करोड़ रुपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग:- विश्वविद्यालय का पत्रांक 197/25 दिनांक 14.05.2025

आदेश :- स्वीकृत।

उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने एवं सर्वांगीन विकास के लिए राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है। GER के प्रतिशत में सुधार एवं निर्धारित GER लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उपलब्ध संसाधन का समुचित उपयोग आवश्यक है जिससे अधिक से अधिक छात्रों का रुझान एवं पहुँच उच्च शिक्षा की ओर हो सके। इस हेतु राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में दो पाली में कक्षा का संचालन करने का निर्णय लिया गया है।

2. इस हेतु विभागीय संकल्प संख्या- 1755 दिनांक 10.09.2015 एवं विभागीय संकल्प संख्या- 1040 दिनांक 11.05.2023 तथा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत अन्य संकल्प/आदेश के आलोक में द्वितीय पाली में पठन-पाठन का कार्य करने वाले शिक्षकों को पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा।

3. वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम बजट के अन्तर्गत उपशीर्ष-BN- निःशुल्क एवं दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेन्टर, कार्यशाला, कन्सलेंसी, द्वितीय पाली कक्षा नैक अनुसंधान, परिमार्जन केन्द्र एवं वित्त रहित संस्थानों को अनुदान, लघुशीर्ष-102-विश्वविद्यालयों को सहायता मद में 65.00 करोड़ (पैंसठ करोड़ रुपये) मात्र एवं लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, मद में 30.00 करोड़ (तीस करोड़ रुपये) मात्र अर्थात् कुल रु0 95.00 करोड़ का बजट उपबंध प्राप्त है।

4. राँची विश्वविद्यालय, राँची के विभिन्न अंगीभूत महाविद्यालयों एवं स्नातकोत्तर विभागों में द्वितीय पाली में कक्षा संचालन के लिए पारिश्रमिक भुगतान हेतु प्रासंगिक पत्रों द्वारा रु0 रु0 3,00,00,000/- (तीन करोड़ रुपये) मात्र की अधियाचना समर्पित की गयी है। उक्त अधियाचना के आलोक में राँची विश्वविद्यालय, राँची के लिए द्वितीय पाली में कक्षा संचालन हेतु रु0 3,00,00,000/- (तीन करोड़ रुपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. उपर्युक्त स्वीकृत राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष-

"मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-796 -जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष- BN- निःशुल्क एवं दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेन्टर, कार्यशाला, कन्सलेंसी, द्वितीय पाली कक्षा नैक अनुसंधान, परिमार्जन केन्द्र एवं वित्त रहित संस्थानों को अनुदान, 01- निःशुल्क एवं दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेन्टर, कार्यशाला, कन्सलेंसी, द्वितीय पाली कक्षा नैक अनुसंधान, परिमार्जन केन्द्र एवं वित्त रहित संस्थाना हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान, 79-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) (विपत्र कोड- 21S220203796BS010679) (स्कीम कोड-2107) के अंतर्गत होगा।"

6. उपर्युक्त स्वीकृत राशि से द्वितीय पाली में कार्यरत शिक्षकों के बकाया मानदेय (यदि कोई हो) का भी भुगतान किया जा सकेगा।

7. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-1269 दिनांक-21.09.2023 के आलोक में यह स्वीकृत्यादेश प्रदत्त शक्ति के अधीन है।

8. इस मद में विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में निकासी की गयी राशि की विवरणी-

स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि	निकासी की गई राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
270/बजट दिनांक 12.11.2024	25000000/-	24955704/-

9. वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक 759 दिनांक 20.03.2015 के अनुसार राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो बैंक ड्राफ्ट माध्यम से कुलसचिव, राँची विश्वविद्यालय, राँची को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से पी0 एल0 खाता संख्या-8448 में जमा करायेंगे।

11. कुलसचिव, राँची विश्वविद्यालय, राँची द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम- 339-344 के तहत पी0 एल0 खाता संख्या-8448 से राशि की निकासी की जायेगी।

12. स्वीकृत योजना की राशि की विमुक्ति एक मुश्त की जायेगी।

13. राशि की विमुक्ति निम्न शर्तों के अधीन की जा रही है।

(क) शिक्षकों की विधिवत् नियुक्ति होने तक कक्षा आधारित प्रक्रियानुसार पठन-पाठन का कार्य कराया जायेगा।

(ख) द्वितीय पाली में कक्षा का संचालन हेतु विभाग द्वारा निर्गत संकल्प के आलोक में माहवार राशि की निकासी की जायेगी।

(ग) विमुक्त राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।

(घ) विभागीय संकल्प संख्या 1609 दिनांक 14.10.2024 के आलोक में स्वीकृत राशि से द्वितीय पाली में कक्षा संचालन हेतु शिक्षकों के मानदेय का भुगतान संकल्प निर्गत की तिथि यथा दिनांक 14.10.2024 तक ही किया जायेगा।

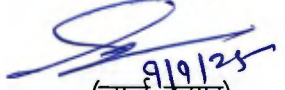
14. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

15. प्रारूप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

16. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

17. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

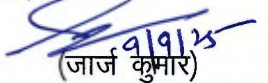
विश्वासभाजन,


(जार्ज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-5/यो01-21/2015 (उ0शि0) 12/09/25 /राँची, दिनांक- 09/09/2025

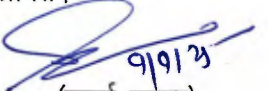
प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(जार्ज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-5/यो01-21/2015 (उ0शि0) 12/09/25 /राँची, दिनांक- 09/09/2025

प्रतिलिपि -विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, राँची विश्वविद्यालय, राँची/ आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा)/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(जार्ज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

